न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
11 / 2020	18 / 06 / 2020	26 / 09 / 2025

1. जगदीश उम्र 43 वर्ष पुत्र श्री रामकरण दत्तक पुत्र श्री देवीलाल जाति मीणा नि0 श्रीपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
2. दौलतराम उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री रामकरण जाति मीणा नि0 श्रीपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री किशनचन्द जाति मीना नि0 कालारेवा तह0 दीगोद जिला कोटा।
2. देवीलाल पुत्र श्री भेरूलाल जाति मीना नि0 गढेपान तह0 दीगोद जिला कोटा।
3. प्रदीप पुत्र श्री रामेश्वर जाति मीना नि0 गढेपान तह0 दीगोद जिला कोटा।
4. रामचरण पुत्र श्री भेरूलाल जाति मीना नि0 गढेपान तह0 दीगोद जिला कोटा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0
निर्णय

प्रार्थना पत्र के सुंसगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व खातेदारी की आराजी वाके ग्राम श्रीपुरा, पटवार हल्का प्रेमपुरा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित है जिसका खाता संख्या नया 17, पुराना 18 है एवं खसरा नंबर 39 रकबा 3.11है0, खसरा नंबर 6 रकबा 3.38 हेक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 5.49 हेक्टेयर है एवं इसी प्रकार वाके ग्राम श्रीपुरा, पटवार हल्का प्रेमपुरा में स्थित आराजी खाता संख्या नया 18 पुराना 19 की खसरा नंबर 47 रकबा 4.00 हेक्टर, खसरा नंबर 48 रकबा 3.10 हेक्टर कुल किता 2 का रकबा 7. 10 हेक्टेयर है। जिसका प्रार्थीगण मुताबिक जमाबंदी संवत् 2075–2078 के अनुसार संयुक्त रूप से मालिक व खातेदार है तथा उपरोक्त वर्णित आराजी को व वादपत्र व प्रार्थना पत्र में आगे विवादित भूमि कहा गया है जिस पर वादीगण प्रार्थीगण को नामान्तकरण संख्या 227, 242, 249, 250 से अपने मृतक पिता देवीलाल एवं दत्तक मां रतनी बाई से उक्त आराजी खातेदारी में प्राप्त हुई है।

यह कि प्रार्थीगण विवादित भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है तथा संपूर्ण आराजी का एक ही खाता है जो प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे है तथा प्रार्थीगण शांतिपूर्वक अपनी आराजी को अपने माता पिता के जीवनकाल से ही काश्त करते आ रहे है किंतु अप्रार्थीगण 1 ता 4 जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर बिना विभाजन के अपने कब्जे को लेने पर आमादा है। प्रार्थीगण को परेशान करते रहते है तथा आये दिन कब्जा काश्त में दखलदांजी कर उसे हथियाने का प्रयास करते है। यह कि अप्रार्थीगण 1 ता 4 ने प्रार्थीगण की बहिनों भूरीबाई, चन्द्रीबाई, जगन्नाथी बाई, भरोसीबाई पुत्रीया श्री देवीलाल व रामकरण हेमराज पुत्रान श्री मूलचंद का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन होने की वजह से तथा प्राथीगण की बहिने अशिक्षित होने की

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

वजह से अप्रार्थीगण ने उक्त विवादित भूमि का पंजीयन स्वयं के नाम पर करवा लिया तथा अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में स्वयं के नाम का अंकन करवाकर व अनुचित लाभ उठाकर विवादित भूमि पर से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। माह मई 2020 के द्वितीय सप्ताह में अप्रार्थीगण ने अपने साथियों व कृषि उपकरणों की मदद से विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने की नियत से प्रवेश कर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया, धमकी दी कि इस जमीन को हम कब्जा में लेकर रहेगें। विवादित भूमि पर प्रार्थीगण को हकाई जुताई नहीं करने देगें। अप्रार्थीगण प्रभावशाली व ताकतवर व्यक्ति है जबकी प्रार्थीगण अशिक्षित व सामान्य व्यक्ति है जिसका अनुचित लाभ उठाकर आप्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं की पैतृक संपत्ति में उनका नाम होने का फायदा उठाकर उक्त आराजी में बिना विभाजन के विवादित आराजी का विक्रय स्वयं के नाम करवाकर उक्त आराजी को अपने कब्जे में लेना चाहते है तथा प्रार्थीगण को बेदखल कर उक्त आराजी को हड़पना चाहते है। जबकि अप्रार्थीगण 1 ता 4 विवादित भूमि से राजस्व रेकार्ड के अतिरिक्त कोई संबंध अथवा सरोकार नहीं है। अप्रार्थीगण राजस्व अंकन का फायदा उठाकर उक्त आराजी को हड़प कर वादीगण को बेदखल करना चाहते है जबकि प्रार्थीगण विवादित भूमि पर अपने माता पिता के जीवनकाल से ही वर्तमान तक शांतिपूर्वक काबिज काश्त है इसलिए प्रार्थीगण के समक्ष अप्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अस्थायी लिश निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना जरूरी हो गया है।

अ–अप्रार्थीगण वाके माल श्रीपुरा में स्थित आराजी खसरा नंबर 6.39 एवं 47,48 में किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण को परेशान नहीं करे, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करें।

ब–अप्रार्थीगण 1 ता 4 को अस्थायी निषेधाज्ञा है विवादित आराजी को कब्जा काश्त में लेने से निरूद्ध किया जाये एवं अप्रार्थीगण को अपने प्रतिनिधियो के जरिये ऐसा करने से रोका जायें।

स–अप्रार्थीगण 1 ता 4 राजस्व अभिलेख में हो रहे स्वयं के नाम के अंकन का फायदा उठाकर विवादित आराजी को कहीं भी रहन, विक्रय, खुर्द बुर्द, हस्तान्तरित आदि नहीं करें।

द–यह कि दौरान वाद अप्रार्थीगण 1 ता 4 राजस्व रेकार्ड में स्वयं के नाम के अंकन का लाभ उठाकर उक्त विवादित भूमि को बेचान, दान, रहन, मुनाफा काश्त आदि पर हस्तान्तरित करते है तो उससे प्रार्थीगण के हितों के विरूद्ध शून्य व प्रभावहीन माना जावें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री सचिन तिवारी एड0 द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। दिनांक 18.06.2020 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। अप्रार्थीकम 1 ता 3 की ओर से कमल कुमार बंसल एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीकम 1 ता 3 की ओर से जवाब पेश किया। शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी रतनी बाई का गोदपुत्र है। रतनी बाई ने रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 02.08.1995 को प्रार्थी को गोद लिया तथा आदिवासी समुदाय पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान नहीं होते तथा पत्नी व पुत्री को सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार नहीं मिलता।

सुल्तानपुर जिला कोटा (राज.)

दृष्टांतः– 2014(2) RRT 90 श्रीमति केशन्ती बनाम रामदास, 2003
2014(2) RRT 90 भूली बनाम चन्दा

अप्रार्थी 1, 3 के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी को रतनीबाई ने गोद लिया है तो केवल रतनी बाई के हिस्से को ही दावा कर सकते है। अप्रार्थी 1 व 3 रिकोर्डेड खातेदार है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती यही कथन अप्रार्थीकम 2, 4 के अधिवक्ता ने भी प्रस्तुत किया कि वे रिकोर्डेड खातेदार है तथा सदभाविक केता है।

1. रजिस्टर्ड गोदनामा प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रथम दृष्टया वाद प्रार्थी के पक्ष में। गोदपुत्र का वही अधिकार जो जायन्दा पुत्र का माँ या पिता में से किसी के भी द्वारा गोद लिया हुआ पुत्र केवल पिता का या केवल माता का गोदपुत्र नहीं कहलाकर दोनों का गोदपुत्र माना जाता है जिसे सम्पूर्ण सम्पत्ति में वही हक व अधिकार प्राप्त होते है जो प्राकृतिक पुत्र को (Natural son) को
2. राजस्थान सरकार के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है न ही अन्य सह खातेदारों के विरूद्ध किसी नही अनुतोष की मांग की है।
3. रूकमणी बनाम भोला, 2011 राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि यह राजस्व न्यायालय यदि किसी विवादित भूमि में से वादी को यदि खातेदार घोषित करता है तो उस भूमि से हुए पूर्व के अन्तरण वादी के हक व अधिकारों की सीमा तक स्वतः ही शून्य व अप्रभावी होगे इसके लिए सिविल कोर्ट से अनुतोष लेने की पृथक से आवश्यकता नही। विवादित भूमि में प्रार्थी के हक व अधिकार दावे के निर्णय से तय होंगे परन्तु निर्णय तक सम्पत्ति के स्वरूप को संरक्षण आवश्यक है ताकि बराबर कय–विकय से litigation वादी की बहुलता को रोका जा सके तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होने से रोका जा सके।
4. उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से प्रार्थी को हुआ नुकसान अप्रार्थी को हुए नुकसान से अधिक होगा। पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजों तथा प्रा0 पत्र के जवाब से स्पष्ट है कि विवादित आराजी से पूर्व में ही बैचान किया जा चुका है अतः अप्रार्थी की हानि की माता प्रार्थी की हानि से कम होने के कारण सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः ख0नं0 6 रकबा 2.38है0, ख.नं. 39 रकबा 3.11है0, ख0नं0 47 रकबा 4.00है0, ख0नं0 48 रकबा 3.10है0, में प्रार्थी के हिस्से तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाता है कि रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल दावे के निस्तारण तक बनाए रखे। इसमें रहन, बैचान, दान इत्यादि नहीं करे व अपने प्रतिनिधि से करवाये।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक इटावा

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)